संख्या: 92/2018/1659/छप्पन-2018-04/2005

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2018

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट को विकसित किए जाने हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 276/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 21 अगस्त, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा आजमगढ़ एयरपोर्ट को विकसित किये जाने के निमित 1.4432 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने हेतु आगणित लागत रू0 2,82,86,720/- (रूपए दो करोड़ बयासी लाख छियासी हजार सात सौ बीस मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट को विकसित किये जाने हेतु वांछित 1.4432 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने हेतु लागत रू0 2,82,86,720/- (रूपए दो करोड़ बयासी लाख छियासी हजार सात सौ बीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2,82,86,720/- (रूपए दो करोड़ बयासी लाख छियासी हजार सात सौ बीस मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

(4) भूमि प्राप्त करने से पूर्व जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त की जाने वाली भूमि एयरपोर्ट निर्माण से सम्बन्धित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान के अनुसार है। भूमि क्रय से पूर्व इस आशय की पुष्टि/प्रमाण-पत्र जिला प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,82,86,720/- (रूपए दो करोड़ बयासी लाख छियासी हजार सात सौ बीस मात्र) तत्काल आहरित कर जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निर्वतन पर रखी जाएगी और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- कृपया भूमि प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, आजमगढ़ से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्टर प्लान को राजस्व मैप पर सुपरइम्पोज कराने के उपरान्त चिन्हित की गई भूमि ही क्रय की जाए।

6- जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(19)(क) में दिए गए प्राविधान के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्याः 92/2018/1659(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, आजमगढ़ ।
(4) जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़ ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।
(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।